गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक– 68 /प्रवर्तन जोन–1/2019 दिनॉक 20/4/2019

परिशिष्ट–6 प्रपत्र 'ब'/भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट 6–प्रपत्र 'ब' भाग–अ, ब, स एवं परिशिष्ट–11 की फोटो कॉपी साथ में संलग्न है)

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद स्थित ग्राम–नूरनगर, में खसरा संख्या–1148 के भूखण्ड क्षेत्रफल 15505.031 वर्ग मीटर पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन (देविका स्काईपर्स) जिसका मानचित्र संख्या–356/जी0एम0पी0/जी0एच0/07–08 दिनांक 10.07.2007 एवं संशोधित मानचित्र 640/जोन–01/जी0एच0/14–15 दिनांक 19.09.2015 को स्वीकृत है, के सम्बन्ध में आवेदक विकासकर्ता द्वारा टावर–A एवं सामुदायिक केन्द्र के आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु दिये गए आवेदन/प्रमाण–पत्रों का परीक्षण श्री ए0आर0 जैदी, अवर अभियन्ता एवं श्री प्रशान्त गौतम, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 16.04.2019 को प्रदान की गयी है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15 क (2) के अन्तर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है।

नोटः–

1. आवेदन पत्र परिशिष्ट–6–प्रपत्र 'ब'/भाग–अ, ब, स एवं परिशिष्ट–11/प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।
2. पार्ट सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र शर्त/प्रतिबन्ध सं0–1 से 28 के अधीन जारी किया जा रहा है, जो पृष्ठ भाग पर अंकित हैं।

20/04/19

(वी0के0 सिंह)

विशेष कार्याधिकारी/प्रभारी प्रवर्तन जोन–1

वी0 के0 सिंह

विशेषकार्याधिकारी/प्रभारी, प्रवर्तन जोन-1

गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद

A.R. Zaidi

ग्राम–नूरनगर, खसरा सं0–1148 पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र हेतु शर्तें/प्रतिबन्ध

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र पत्र सं.–आर–48/जे.डी./फ.स./लखनऊ–16 (गाजि.)/312/656 दिनाँक 27.08.17 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराना होगा।
2. लिफ्ट के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा एवं लिफ्ट के संचालन व अनुरक्षण से सम्बन्धित जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
3. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति सं.–प.32268/सी–1/एन.ओ.सी./जी.–854/13 दिनाँक 08.11.13 नियमानुसार नवीनीकरण कराना होगा।
4. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पत्र सं.–527/SEAC/341/2009/ADH/ओ.एस.डी.(टी.) दिनाँक 31.03.10 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. एन.जी.टी. के आदेशों के अन्तर्गत भू–जल उपयोग हेतु सी.जी.डब्लू.ए. मिनीस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में आवेदन किया गया है। उक्त विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
7. हिण्डन एयरबेस की अनापत्ति पत्र सं.–डी.वाई नं.–646/एफ./डी.(ए.आई.आर.–द्वितीय) दिनाँक 29.12.08 में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
8. आवेदक को उ.प्र. रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्तों का पालन करना होगा।
9. ग्रीन एरिया की रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
10. बिल्डर द्वारा अपने परिसर में बनाये गए मिनी एस.टी.पी. में सीवर वाटर को ट्रीटमेन्ट करने के बाद ही निस्तारित किया जाएगा।
11. स्वीकृत मानचित्र सं.–356/जीएमपी/जीएच/जोन–1/07–08 दिनाँक 10.07.07 एवं संशोधित मानचित्र 640/जोन–01/जी0एच0/14–15 दिनांक 19.09.2015 में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
12. विद्युत उपयोग हेतु पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आवश्यकतानुसार प्रवर्तक लगाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
13. यदि किये गये निर्माण में कोई विचलन पाया जाता है तो सम्पूर्ण परिसर के सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व किये गये विचलन को शमन कराना होगा।
14. आवेदक को 10 प्रतिशत पार्किंग आगुन्तकों के लिए आरक्षित करनी होगी।
15. विकासकर्ता/ए.ओ.ए. को यू.पी. अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 नियमावली–2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
16. एस.टी.पी. के अनुरक्षण की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
17. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
18. सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत रूप में पूर्णता प्रमाण–पत्र भवन उपविधि–2008 के समस्त प्राविधानों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. मूल स्वीकृति एवं शमन तथा आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र के समय अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा दिये गये शपथ–पत्रों के कथनों का पालन करना होगा।
20. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण–पत्र किये जाते समय पुनः जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र करने वाले भाग का तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।
21. फायर तथा अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इसमें शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
22. भवन के स्ट्रक्चरल/एलीवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद/सुपरविजन करने वाले इंजीनियर/विकासकर्ता की होगी।
23. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन व रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
24. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य किसी भी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्डओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
25. विकासकर्ता को सम्पूर्ण लेबर सेस नियमानुसार जमा करना होगा, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
26. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त अन्य समस्त कार्य का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
27. अपार्टमेन्ट एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
28. सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट 02 माह में स्थापित एवं क्रियाशील करना होगा।

अवर अभियन्ता
प्रवर्तन जोन–1
A.R. Zaidi
J.E.

सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन–1
प्रशांत शीतल
सहायक अभियन्ता

Part completion of tower-A commercial, Part. community hall for Devika Skylers Group housing at RaJnagar ext. Ghaziabad

परिशिष्ट-6

प्रपत्र—"ब" (प्रपत्र-ब) पृष्ठ 1/4

ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र

(उपविधि संख्या-3.1.8)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (i) आवेदक का नाम — M/S Shobhit Finance LTD.
   (ii) वर्तमान पता — Devika tower 6 nehru place New delhi
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम / मोहल्ला / वार्ड — Khasra No-1148 Noor nagar G.z.B Devika Skylers
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) — Net Plot area = 15505.04 m²
4. भवन का अनुमन्य उपयोग — आवासीय
5. (i) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि — 19/06/2015
   (ii) परमिट संख्या — G.D/जोन 1/(GH) DJ4.1502 19/9/15
   (iii) यदि स्वत: अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण : — No
   यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो — — N.A
   मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें :
6. (i) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें — शमन मानचित्र संलग्न है
   (ii) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें — रसीद संलग्न है
7. निर्माण की स्थिति : केवल टावर - A, commercial, community hall, panel room

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

7.1 भू-आच्छादन (प्रतिशत)

7.2 एफ.ए.आर. — P.T.O (पीछे पेज पर)

7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)

(क) सामने — 12.00 m

(ख) पीछे — 11.380 m

(ग) दाएँ — 11.456 m

(घ) बाएँ — 12.260 m

for Shobhit Finance Ltd.

Director

A.R. Zaidi
J.E.

निर्माण की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	अनुमन्य	निर्मित	शमनित	यूनिट
	भू-आच्छादन				
	(1) टावर-A →	775.804	770.476	770.476	
	(2) व्यावसायिक →				
	(3) कोमिनिटि हाल	188.686	80.520	80.520	
	(4) Panal Room	90.712	90.712	90.712	
Total		1055.202	941.708	941.708	

F.A.R

	(1) टावर-A →	7764.19	7764.19	7764.19	B+S+12 Floor
	(2) व्यवसायिक →	355.166	349.838	349.838	8×12
	(3) Community hall	383.34	270.63	270.63	96 यूनिट 16 दुकान
	(4) Panal Room	90.712	90.712	90.712	
		8593.408	8475.37	8475.37	96 यूनिट 16 दुकान

for Shamit Finance Ltd.

Director

VISHAL MITTAL CA/98/23185 ARCHITECT

A.R. Zaidi
JE

A.R. Zaidi
J.E.

A.R. Zaidi
J.E.

परिशिष्ट–6

(प्रपत्र–ब) पृष्ठ 2/4

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

7.4 (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी. में) — 2038.692 m^2

7.4 (ब) बेसमेन्ट का उपयोग — Parking

7.5 स्टिल्ट फ्लोर

(अ) क्षेत्रफल — 685.107 m^2

(ब) उपयोग — Parking

7.6 पार्किंग ((क्षेत्रफल व.मी. में) — 2679.923 m^2

7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में) — 39.15m

7.8 मंजिलों की संख्या — B+S+12 Floor

8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

9. सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए :

(क) जल–आपूर्ति — संलग्न है

(ख) मलोत्सारण — संलग्न है

(ग) जल निकास — संलग्न है

(घ) सोलर वाटर संयन्त्र — N.A

(ङ) विद्युत आपूर्ति — संलग्न है

(च) लिफ्ट — संलग्न है

(चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

10. गारवेज शूट (है / नहीं)

11. एविऐशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में

एविऐशन लाइट्स लगी है / नहीं लगी है

12. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण–पत्र संलग्न करें) (है / नहीं)

13. भवन में आन्तरिक परिवर्तन :

(क) उपविधियों के अन्तर्गत है / नहीं है

(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी / हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नही है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :

1.

2.

3.

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण–पत्र सहित)

दिनांक ....

टिप्पणी :– 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

2. भवन काम्पलेक्स में प्रत्येक ब्लाक के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

for Shomit Finance Ltd.

Director

A.R. Zaidi
J.E.

पत्रांक- 274 / प्रवर्तन जोन-1 / 17-18 दिनांक 08 / 09 / 2017

परिशिष्ट-6 प्रपत्र 'ब' / भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट 6-प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स एवं परिशिष्ट-11 की फोटो कॉपी साथ में संलग्न है)

रामनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद स्थित ग्राम-नूरनगर, में खसरा संख्या-1148 के भूखण्ड क्षेत्रफल 15505.031 वर्ग मीटर पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन (देविका स्काईपर्स) जिसका मानचित्र संख्या-356 / जी0एम0पी0 / जी0एच0 / 07-08 दिनांक 10.07.2007 एवं संशोधित मानचित्र 640 / जोन-01 / जी0एच0 / 14-15 दिनांक 19.09.2015 को स्वीकृत है, के सम्बन्ध में आवेदक विकासकर्ता द्वारा टावर सी1, सी2, सी3, सी7 व डी1 के आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिये गए आवेदन / प्रमाण-पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 07.09.2017 को प्रदान की गयी है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है।

नोटः-

1. आवेदन पत्र परिशिष्ट-6-प्रपत्र 'ब' / भाग-अ, ब, स एवं परिशिष्ट-11 / प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।
2. पार्ट सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र शर्त / प्रतिबन्ध सं0-1 से 30 के अधीन जारी किया जा रहा है, जो पृष्ठ भाग पर अंकित हैं।

08/9/17

(आर.पी.सिंह)
प्रभारी प्रवर्तन जोन-01

आर.पी. सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

ग्राम–नूरनगर, खसरा सं0–1148 पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र हेतु शर्तें/प्रतिबन्ध

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र पत्र सं.–आर–48/जे.डी./क.स./लखनऊ–16 (गाज़ि.)/312/656 दिनाँक 27.08.17 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराना होगा।
2. लिफ्ट के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा एवं लिफ्ट के संचालन व अनुरक्षण से सम्बन्धित जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
3. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति सं.–प.32268/सी–1/एन.ओ.सी./जी.–854/13 दिनाँक 08.11.13 नियमानुसार नवीनीकरण कराना होगा।
4. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पत्र सं.–527/SEAC/341/2009/ADH/ओ.एस.डी.(टी.) दिनाँक 31.03.10 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. एन.जी.टी. के आदेशों के अन्तर्गत भू–जल उपयोग हेतु सी.जी.डब्लू.ए. मिनीस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में आवेदन किया गया है। उक्त विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
7. हिण्डन एयरबेस की अनापत्ति पत्र सं.–डी.वाई नं.–646/एफ./डी.(ए.आई.आर.–द्वितीय) दिनाँक 29.12.08 में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
8. आवेदक को उ.प्र. रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्तों का पालन करना होगा।
9. ग्रीन एरिया की रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
10. बिल्डर द्वारा अपने परिसर में बनाये गए मिनी एस.टी.पी. में सीवर वाटर को ट्रीटमेन्ट करने के बाद ही निस्तारित किया जाएगा।
11. मास्टर प्लान अनुभाग की देयता का भुगतान 02 माह के भीतर करना सुनिश्चित करना होगा।
12. स्वीकृत मानचित्र सं.–356/जीएमपी/जीएच/जोन–1/07–08 दिनाँक 10.07.07 एवं संशोधित मानचित्र 640/जोन–01/जी0एच0/14–15 दिनांक 19.09.2015 में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
13. विद्युत उपयोग हेतु पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आवश्यकतानुसार प्रवर्तक लगाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
14. यदि किये गये निर्माण में कोई विचलन पाया जाता है तो सम्पूर्ण परिसर के सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व किये गये विचलन को शमन कराना होगा।
15. आवेदक को 10 प्रतिशत पार्किंग आगुन्तकों के लिए आरक्षित करनी होगी।
16. विकासकर्ता/ए.ओ.ए. को यू.पी. अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 नियमावली–2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
17. एस.टी.पी. के अनुरक्षण की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
18. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
19. सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत रूप में पूर्णता प्रमाण–पत्र भवन उपविधि–2008 के समस्त प्राविधानों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
20. मूल स्वीकृति एवं शमन तथा आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र के समय अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा दिये गये शपथ–पत्रों के कथनों का पालन करना होगा।
21. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण–पत्र किये जाते समय पुनः जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र करने वाले भाग का तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।
22. फायर तथा अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इसमें शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
23. भवन के स्ट्रक्चरल/एलीवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद्/सुपरविजन करने वाले इंजीनियर/विकासकर्ता की होगी।
24. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन व रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
25. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य किसी भी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्डओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
26. विकासकर्ता को सम्पूर्ण लेबर सेस नियमानुसार जमा करना होगा, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
27. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त अन्य समस्त कार्य जैसे–सीवर कनैक्शन, वाटर कनेक्शन आदि के कार्य करने का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
28. अपार्टमेन्ट एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
29. निर्माण सामग्री लेकर परिसर में आने वाले वाहनों तथा अन्य निर्माणाधीन टावरों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो इसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

08/9/17
(ए0आर0 जैदी)
अवर अभियन्ता, जोन–1,

08/9/17
(आर0पी0सिंह)
प्रभारी प्रवर्तन जोन–1,

प्रपत्र–''ब''

...कसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र

(उपविधि संख्या–3.1.8)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(i) आवेदक का नाम — SHOMIT FINANCE LTD
(ii) वर्तमान पता — KHASRA NO–1148 NOOR NAGAR (RAJ NAGAR EXTN.)
भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड — KHASRA NO–1148 NOOR NAGAR DEVIKA SKYPERS, GHAZIABAD
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) — 15505.031
भवन का अनुमन्य उपयोग — Residential

5. (i) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि — 10/07/2007, 19/09/2015
(ii) परमिट संख्या — 70/जी.डी.ए./ग्रेन-1/15
(iii) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण : यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो – मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें : ————

6. (i) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें — S.R. No.–324365, DATE:–15/11/2011
(ii) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें — DATE:–15/11/2011 RS/–2,47,686/–

7. निर्माण की स्थिति :

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

7.1 भू–आच्छादन (प्रतिशत) — 1732.586 (11.17%)
7.2 एफ.ए.आर. — 20144.854 (C1, C2, C3, C7, D1)
7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)
(क) सामने — 12.00 MT.
(ख) पीछे — 11.380 MT.
(ग) दाएँ — 12.26 MT.
(घ) बाएँ — 12.00 MT.

7. निर्माण की स्थिति –

क्रम सं०	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5
1	23257.546	BLOCK-C-3 2182.411	TOWER-C3 4113.55	1931.139
2		BLOCK-C7 3801.947	TOWER-C7 4113.55	311.603
3		BLOCK-C1 2485.78	TOWER-C1 4113.55	1627.77
4		BLOCK-C-2 2182.411	TOWER-C2 4113.55	1931.139
5		BLOCK-D-1 2485.78	TOWER-D1 3690.630	1204.85

For SHO…IT FINANCE LTD

Director

08/9/17

आर० पी० सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	एवीकृत/शमन किया गया विवरण
1	2	3	4	5

7.4 (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी. में) N·A
7.4 (ब) बेसमेन्ट का उपयोग N·A
7.5 स्टिल्ट फ्लोर
(अ) क्षेत्रफल 1511·79
(ब) उपयोग PARKING
7.6 पार्किंग ((क्षेत्रफल व.मी. में) 1511·79 (covered PARKING) open E.C.S–195 E.C.S
7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में) 38·75 Mt·
7.8 मंजिलों की संख्या STILT + 12 FLOORS
8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
9. सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए :
(क) जल–आपूर्ति ✓
(ख) मलोत्सारण ✓
(ग) जल निकास ✓
(घ) सोलर वाटर संयन्त्र ✓
(ङ) विद्युत आपूर्ति ✓
(च) लिफ्ट ✓
(चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
10. गारबेज शूट (है/नहीं)
11. एविऐशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में
एविऐशन लाइट्स लगी हैं/नहीं लगी हैं
12. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
(है/नहीं)
13. भवन में आन्तरिक परिवर्तन :
(क) उपविधियों के अन्तर्गत है/नहीं है
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो
उसका शमन हो चुका है। हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। उ भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उ भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :

आवेदक हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण–पत्र सहित)
Director

1.
2.
3.

दिनांक ....

टिप्पणी :– 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।
2. भवन काम्पलेक्स में प्रत्येक ब्लाक के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

प्रमाणित
08/12/23

परिशिष्ट–6

(प्रपत्र–'ब') पृष्ठ 3/4

<u>भाग–ब</u>

पंजीकृत वास्तुविद/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती SHOMIT FINANCE LTD (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या.......... खसरा संख्या 1148 MODY NAGAR, DEVIKA SKYPERS स्थित भवन संख्या 1148, MODY NAGAR, DEVIKA SKYPERS Tower – C1, C2, C3, C7, D1 की निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :–

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक –7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता–प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः पंजीकृत वास्तुविद/अभियंता ....

नाम/पता ....

काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या ....

लाइसेन्स वैधता की अवधि ....

VISHAL MITTAL ARCHITECT CA/98/23185

DESIGNERS B-34, SECTOR 67, NOIDA

प्रमाणित
08/9/17

दिनांक..........

<u>भाग–स</u>

SHOMIT FINANCE LTD, 1148 MODY NAGAR, DEVIKA SKYPERS, Tower – C1, C2, C3, C7, D1

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टाफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

Rain harvesting working condition

हस्ताक्षर :

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति ....

नाम/पता ....

लाइसेन्स संख्या ....

दिनांक..........

Part Completion of Tower- C1, C2, C3, C7 & D1 for group housing plan "DEVIKA SKYPERS" at Khasra No- 1148, Village- Noor Nagar, Ghaziabad (U.P.)

(84)

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD

CERTIFICATE

(To be submitted with the application for obtaining compounding/completion plan)

1. Certified that the Building for which compounding/completion plan has been submitted for approval conforms to the requirements of relevant Indian Standard Codes and National Building Codes as referred in Annexure-2 of G.O. No. 570/9/ आ-1-2001/भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) dated 03.02.01 in respect of structural safety in general and National hazards including earthquake in particular.

2. It is also certified that the Building has been construction as per approved foundation and structural designs provided by the Structural Engineer which are certified to be based on relevant Indian Standard Code and National Building Code as referred above and the building is safe for occupancy.

3. **Location/Address of Building**

   Plot No. KHASRA NO- 1148

   Town. VILLAGE- NOOR NAGAR

   Scheme/colony.........

   District... GHAZIABAD

4. **Particulars of Building**

   1. Ground Coverage (sq.mt) ...... 1732.586 SQ. MT.
   2. Total Covered area (sq mt) ... 21020.778 SQ. MT.
   3. Maximum Numbers of Floors above ground.... STILT + 12 FLOOR
   4. [illegible] covered area ..... NILL

SHOMIT FINANCE LTD.

Authorised Signatory

(Signature of owner with date)

Name (Block) [signature]

Add... 371

Signature of the Engineer who had Supervised the construction

Name (Block)... PRABHUNATH SINGH

Legible seal : (with address)

M-42, Sect 23 Sanjay Nagar Ghaziabad U.P. 201002

Signature of the Architect who had Prepared the design with date

Name (Block)........

COA Registration No.

Legible Seal

(with address)

VISHAL MITTAL ARCHITECT CA/ 95/23185

SPACE DESIGNERS INTERNATIONAL B-34, SECTOR-67, NOIDA

(Signature of the Structural Engineer) Who had designed & executed the construction

Name (Block)........ ANIL GARG. B.E., M.E.(Civil)

Legible Seal

(with address)

II-B, 104-A, Nehru Nagar Ghaziabad-201001.

ANIL GARG
B.E., M.E. (CIVIL)
II-B, 104-A, Nehru Nagar
Ghaziabad, PIN-201001

08/8/12

Dr. Ashok Gupta
Professor

Department of Civil Engineering
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
Hauz Khas, New Delhi-110016, INDIA
Phone : 011-26591194
Fax : 011-26581117
email : ashokg@civil.iitd.ac.in

21-Aug-07

To whomsoever it may Concern

Sub: Regarding proof checking of structural design and drawings of Devika Skypers at Khasra No. 1148 Noor Nagar, Ghaziabad (UP)

The design and drawings submitted by M/S Engineering Solutions S205, Chetak Complex, Dilshad Garden, Delhi 110095 for the above mentioned project are approved. The design is as per the standard practices and codal provisions.

Yours ~~truly~~,

Ashok Gupta

Dr. ASHOK GUPTA
Professor
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology Delhi
Hauz Khas, New Delhi - 110 016

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक-110/प्रवर्तन जोन-1/18-19 दिनांक 14 / 06/2018

परिशिष्ट-6 प्रपत्र 'ब'/भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट 6-प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स एवं परिशिष्ट-11 की फोटो कॉपी साथ में संलग्न है)

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद स्थित ग्राम-नूरनगर, में खसरा संख्या-1148 के भूखण्ड क्षेत्रफल 15505.031 वर्ग मीटर पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन (देविका स्काईपर्स) जिसका मानचित्र संख्या-356/ जी0एम0पी0/जी0एच0/07-08 दिनांक 10.07.2007 एवं संशोधित मानचित्र 640/जोन-01/जी0एच0/ 14-15 दिनांक 19.09.2015 को स्वीकृत है, के सम्बन्ध में आवेदक विकासकर्ता द्वारा टावर बी., ई एवं डी1, का ऊपरी तल के आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिये गए आवेदन/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 13.06.2018 को प्रदान की गयी है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है।

नोट:-

1. आवेदन पत्र परिशिष्ट-6-प्रपत्र 'ब'/भाग-अ, ब, स एवं परिशिष्ट-11/प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।
2. पार्ट सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र शर्त/प्रतिबन्ध सं0-1 से 21 के अधीन जारी किया जा रहा है, जो पृष्ठ भाग पर अंकित है।

14/6/18

(आर.पी.सिंह)
प्रभारी प्रवर्तन जोन-01

आर0 पी0 सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

ग्राम–नूरनगर, खसरा सं0–1148 पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र हेतु शर्तें/प्रतिबन्ध

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र पत्र सं.–218/2018/344/10.04.2018 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराना होगा।
2. लिफ्ट के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा एवं लिफ्ट के संचालन व अनुरक्षण से सम्बन्धित जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
3. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति सं.–फ.32268/सी–1/एन.ओ.सी./जी.–854/13 दिनाँक 08.11.13 नियमानुसार नवीनीकरण कराना होगा।
4. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पत्र सं.–527/SEAC/341/2009/ADH/ओ.एस.डी.(टी.) दिनाँक 31.03.10 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. एन.जी.टी. के आदेशों के अन्तर्गत भू–जल उपयोग हेतु सी.जी.डब्लू.ए. मिनीस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में आवेदन किया गया है। उक्त विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा इस सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
7. हिण्डन एयरबेस की अनापत्ति पत्र सं.–डी.वाई नं.–646/एफ./डी.(ए.आई.आर.–द्वितीय) दिनाँक 29.12.06 में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
8. आवेदक को उ.प्र. रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्तों का पालन करना होगा।
9. ग्रीन एरिया, वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य किसी भी प्रकार के रख–रखाव तथा आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्डओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
10. स्वीकृत मानचित्र सं.–356/जीएमपी/जीएच/जोन–1/07–08 दिनाँक 10.07.07 एवं शमन तथा आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र के समय अंकित शर्तों/प्रतिबन्धो तथा दिये गये शपथ पत्रों के कथनो का पालन करना होगा। मे उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
11. विद्युत उपयोग हेतु पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आवश्यकतानुसार प्रवर्तक लगाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
12. यदि किये गये निर्माण में कोई विचलन पाया जाता है तो सम्पूर्ण परिसर के सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व किये गये विचलन को शमन कराना होगा।
13. आवेदक को 10 प्रतिशत पार्किंग आगुन्तकों के लिए आरक्षित करनी होगी।
14. विकासकर्ता/ए.ओ.ए. को यू.पी. अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 नियमावली–2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
15. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
16. सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत रूप में पूर्णता प्रमाण–पत्र भवन उपविधि–2008 के समस्त प्राविधानों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
17. फायर तथा अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इसमें शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
18. भवन के स्ट्रक्चरल/एलीवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद/सुपरविजन करने वाले इंजीनियर/विकासकर्ता की होगी।
19. विकासकर्ता को सम्पूर्ण लेबर सेस नियमानुसार जमा करना होगा, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
20. निर्माण सामग्री लेकर परिसर में आने वाले वाहनों तथा अन्य निर्माणाधीन टावरों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो इसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
21. सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आदेश जारी कर दिया गया है। इस क्रम में शपथ–पत्र संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार स्थल पर स्थापित एवं क्रियाशील करना होगा।

Zaidi
(ए.आर. जैदी)
अवर अभियन्ता जोन–1

14/6/19
(आर.पी. सिंह)
प्रभारी प्रवर्तन जोन–1
आर.पी. सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

Part Complition of Tower - B, D1 & E, Group housing for "Divika skypi
at khasra No - 1148, Village - Noor Nagar, Ghaziabad.

[illegible]

[illegible]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

[illegible]

1. [illegible] — SHOMIT FINANCE LTD.

(ii) [illegible] — KHASRA No.-1148, NOOR NAGAR (RAJNAGAR EXT.) GHAZIABAD.

2. [illegible] — KHASRA-NO-1148 NOOR NAGAR DEVIKA SKYPERS, GHAZIABAD.

3. [illegible] — 15505.04 SQ.MT.

4. [illegible] — RESIDENTIAL

5. (i) [illegible] — 10/07/2007, 19/09/2015

(ii) [illegible] — 70/ग्रा0 विभाग / जोन-1/15

(iii) [illegible]

6. (i) [illegible]

(ii) [illegible]

7. [illegible] TOWER - B, 01 & E

[illegible]	[illegible]	अनुमन्य	[illegible]
1	2	3	4

(1568.77)

7.1 [illegible] (5933.866) 38.500% (5503.169) 35.705% (10.18%)

7.2 [illegible] 46814.830 SQM. 46814.830 SQM. 18671.788 SQM

7.3 [illegible] 12.660 MT. 11.380 MT. 11.456 MT. 12.26 MT.

VISHAL MITTAL
CA/98/23305
ARCHITECT

for Shomit Finance Ltd.

Director

	अनुमन्य	शमनित	निर्मित	
GROUND FLOOR				
TOWER- B	697.91	697.91	697.91	
TOWER- E	835.622	870.86	870.86	
TOWER- D1				
TOTAL	1533.532	1568.77	1568.77	यूनिट
F.A.R.				
TOWER- B	7937.6	7937.6	7937.6	132
TOWER- E	8060.639 15998.239	10138.98 ~~15998.239~~	10138.98 18076.58	180
TOWER- D1		~~-595.208~~ 18076.58	~~595.208~~ 18076.58	8
TOTAL	15998.239	18671.788	18671.788	320

for Shomit Finance Ltd.

Director

VISHAL MITTAL CA/98/23185 ARCHITECT

Tower B, D1 4 E

5239.186 SQ.M
PARKING

2329.717 SQ.M
PARKING
7391.584 SQ.M (COVERED PARKING)
39.15 MT.
BASEMENT + STILT + 12 FLOOR

VISHAL MITTAL
CA/98/23085
ARCHITECT

for Shonkit Finance Ltd.

Director

Part Completion of Tower - B, D & E, Group housing for "Devika skypers" at Khasra No. - 1148, village - Noor Nagar, Ghaziabad (U.P.)

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD

CERTIFICATE

(To be submitted with the application for obtaining compounding/completion plan)

1. Certified that the Building for which compounding/completion plan has been submitted for approval conforms to the requirements of relevant Indian Standard Codes and National Building Code as referred in Annexure-2 of G.O. No. 570/9 आ-1-2001/गृहमकोड/2001 (आ.ब.) dated 03.02.01 in respect of structural safety in general and National hazards including earthquake in particular.
2. It is also certified that the Building has been construction as per approved foundation and structural designs provided by the Structural Engineer which are certified to be based on relevant Indian Standard Code and National Building Code as referred above and the building is safe for occupancy.
3. Location/Address of Building Tower - B, D & E
   Plot No. KHASRA NO. - 1148
   Town village - Noor Nagar
   Scheme/colony ....
   District Ghaziabad
4. Particulars of Building
   1. Ground Coverage (sq.mt) 2500.677 SQ.MT.
   2. Total Covered area (sq.mt) 26754.203 SQ.MT.
   3. Maximum Numbers of Floors above ground. BASEMENT + STILT + 12 FLOOR
   Total Basement covered area 5239.186 SQ.MT.

(Signature of owner with date)
Name (Block) AJAY KUMAR SHARMA
Add: For Shomit Finance Ltd.
5/84 Rajnagar GZB.
Ajay Sharma
Director

Signature of the Engineer who has Supervised the construction
Name (Block) PRABHUNATH SINGH
Legible seal (with address)

Signature of the Architect who had Prepared the design with date
Name (Block) ....
COA Registration No ....
Legible Seal
(with address)

VISHAL MITTAL ARCHITECT CA/98/23185

SPACE DESIGNERS INTERNATIONAL B-34, SECTOR-67, NOIDA

(Signature of the Structural Engineer) Who had designed & executed the construction
Name (Block) ....
Legible Seal
(with address)

OPTIMUM DESIGN PVT. LTD.

(2)

Part Completion of Tower B, D1 & E, Group housing for "DEVIKA SKYPERS" at KHASRA No- 1148, Village - Noor Nagar, Ghaziabad

परिशिष्ट–6
(प्रपत्र–'घ') पृष्ठ 3/4)

भाग–क

पंजीकृत वास्तुविद / अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग / व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती SHOMIT FINANCE LTD (आवेदक का नाम) की भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या – 1148 – – – पर स्थित भवन संख्या Village - Noor Nagar Ghaziabad Devika Skypers, Tower - B, D1 & E का निर्माण / पुनर्निर्माण / परिवर्तन / परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत है :–

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र / स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक–7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित / पुनर्निर्मित / परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गुणवत्ता अच्छी श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर: पंजीकृत वास्तुविद / अभियंता ....

नाम / पता ....

काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर का

पंजीकरण / लाइसेन्स संख्या ....

लाइसेन्स वैधता की अवधि ....

VISHAL MITTAL ARCHITECT CA/.../85

SPACE DESIGNERS INTERNATIONAL B-34, SECTOR-67, NOIDA

दिनांक ....

भाग–ख

SHOMIT FINANCE LTD. KHASRA NO. 1148, Village Noor Nagar, Devika Skypers, Ghaziabad

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र Tower- B, D1 & E
(ग्रुप हाऊसिंग / व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र / लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम / पता

लाइसेन्स संख्या

VISHAL MITTAL ARCHITECT CA/.../85

SPACE DESIGNERS INTERNATIONAL B-34, SECTOR-67, NOIDA

दिनांक ....